

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता  
अहकाम जो इ  
की तामील में ज


20.6.15


पगावली आज राजत्व लोडे अकादत/उभय  
दोर्त आरिशाग मु. माववा पर एग इरी  
वादी एवं प्रसिवादी अनुपायित रहन से  
पुखरा केव्य दोर्त में लिखा जाछा एग वली  
हा अवलोहन दिया गया। बारी डा कुयन  
द्वे दि प्रसिवादीगवा, वादी के वल्ले काउल  
में दखलं करी करले है इस लिये उन्हे स्वामी  
निधे धासा से पावह दिया जावे एवं वादी  
के पिला की मूल्य लेने एवं वादी उनका लक  
माग वारिस होने से वाहयल अराजिपाल  
का वादी को खातेदार काउलकार घोषित  
दिया जावे है। पगावली के अवलोहन से  
वाहयल अराजिपाल का बीरवा खातेदार  
काउलकार है एवं मजमे आम में वलाग दि  
बीरवा कोल हो चुका है एवं बीरवा का  
वारिस वादी मामा के कुल लयमाके आदर  
पर वादी का वक स्वीकार दिया जाला अचित  
प्रतीत होता है

अल इयरोकल चिरेचन के माधत

पर वादी का वाह स्वीकार दिया जाला  
ह एवं मौजा अरा परवार एगो अडे स्थलील  
कोसा ली जमा कबी संवत् 2066 से 2069  
के खाला संवत् 10 में वर्जित अराजिपाल  
दिला 34 कुल रकवा 18-06 बीधा, एवं खाला  
संवत् 12 में वर्जित अराजिपाल दिला  
01 रकवा 0-13 बीधा शुमि का वादी असा  
दिला बीरवा को खातेदार काउलकार घोषित  
दिया जाला है एवं वादी के वल्ले काउल  
में दखलं करी करले हेनु प्रसिवादीगवा को  
अरिधे स्वामी निधे धासा से पावह दिया  
जासा है पगावली सिधित लोडा वल्ले से अल्लो

निधि हुनाया गया।

  
सदस्य  
लोक अदालत, कोटड़ा

  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटड़ा (जिला उदयपुर)

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोण्डा जिला उदयपुर

2012  
20.6.  
पृष्ठ

पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण झाचार्य (RAS) कोटा  
मुकदमा 49/12 सन् सीगह  
श्री. काना पिता भीखा गनेती बनाम श्री देवा पिता ओपिया हेरमा  
निवासी खारा निवासी - कुतरमारिया

दावा बाबत 88, 188, 92 A RTA

ह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण झाचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ।  
वादी की ओर से वकील श्री वादी प्रतिवादी स्वयं प्रतिवादी की ओर से वकील  
की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

पट्टा 18.06 बीघा इव खाल संख्या 10 में वर्णित आता निवात जिला 34 कुल  
2069 के खाल संख्या 10 में वर्णित आता निवात जिला 34 कुल  
शुल्का 18.06 बीघा इव खाल संख्या 12 में वर्णित आता निवात  
जिला 01 शुल्का 0.13 बीघा इव का वादी काना पिता भीखा  
को खाल संख्या 10 में वर्णित आता निवात जिला 34 कुल  
कच्चे काट में ब्युलदापी हेतु प्रतिवादी गण के जरिये  
स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि आज की तारीख  
सूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित  
को दी जाये।  
यह आज तारीख 20 मार 06 सन् 2015 को  
हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

सदस्य  
लोक अदालत, कोटा

(सत्यनारायण झाचार्य)  
हस्ताक्षर न्यायाधीश  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा (जिला उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
पत्र के लिये स्टाम्प वकालात नामा के लिये स्टाम्प नताना वकील ) पर गवाह कमिश्नर की तामील खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील ) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		